राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.25(5)चिस्वा/ग्रुप–2/169/2012

जयपुर, दिनांक : 27.09.2013

1 OCT 2013

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– **बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के कम में 1500 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 19.06.2012 के द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2012–13 कम में 1500 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं पद सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 24.09.2012, 02.11.2012, 18.03.2013, 04.04.2013, 01.05.2013, 08.07.2013, 01.08.2013, 06.08.2013, 16.08.2013, 22.08.2013, 18.09.2013, 23.09.2013 एवं 25.09.2013 के द्वारा 1500 नयें उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 1399 स्थानों के नाम के चयन की स्वीकृति जारी की गई है। अतः निर्देशानुसार लेख है कि उक्त संदर्भित स्वीकृतियों के कम में 1 (एक) ग्राम में (जिसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है) नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

क.सं.	खोले जाने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	पंचायत समिति	जिला	क्षेत्र विवरण
1	कलाकां	तिजारा	अलवर	Minorities/General

शेष 100 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थानों के नामो की स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
8. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1)/बजट विभाग राज. जयपुर।
9. शासन उप सचिव, वित्त (आयोजना) विभाग, राज. जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग।
8. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज. जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन जयपुर
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर
12. प्रभारी सर्वररूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
13. कम्प्यूटर सैल/एकल पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर) 01/10/13
वरि. लेखाधिकारी

C/Plan-3/Santion/Sanction